

Order of Proceedings
 मैथिली
 मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
 सिविल
 सिविल

Case No. 359/2017
 Signature of Presiding Officer

Parties of
 Pleaders where
 Necessary

आज आरक्षी केन्द्र 359 के उपनिरीक्षक / सहायक
 उपनिरीक्षक / प्रधान आरक्षक / आरक्षक की ओर से अपराध
 क्र. 183/16 द्वारा थाना प्रभारी 34 अंतर्गत धारा 34 अपराध
 भा0द0सं0 / अधिनियम के अधीन दण्डनीय
 अपराध के संबंध में अभियुक्त / अभियुक्तगण के विरुद्ध अभियोग
 पत्र / परिवाद पत्र प्रस्तुत किया गया।

राज्य द्वारा ए0डी0पी0ओ0 से उपा0।

359/2017

अभियुक्त / अभियुक्तगण

निवासी / निवोसियों के विरुद्ध विरुद्ध

थाना 359 जिला सिविल राज्य 359
 उपस्थित। अभियुक्त / अभियुक्तगण की ओर से अधिवक्ता
 श्री द्वारा मेमोरेण्डम / वकालतनामा प्रस्तुत
 किया।

अभियोग पत्र / परिवाद पत्र समयावधि के भीतर प्रस्तुत किया गया है।

प्रकरण में संज्ञान के विषय पर विचार किया गया। अभियोग पत्र / परिवाद पत्र व प्रस्तुत दस्तावेज के अवलोकन से प्रथम दृष्टया अभियुक्त / अभियुक्तगण के विरुद्ध उपरोक्तानुसार भा0द0सं0 / 34 अधिनियम के अधीन कार्यवाही किये जाने के आधार प्रकट हो रहे हैं। अतः अभियुक्त / अभियुक्तगण के विरुद्ध भारा 190-(1) द0प्र0सं0 के अधीन न्याय न्याय का आदेश किया जाता है।

प्रकरण का पंजीयन आपराधिक पंजी 658359/1 में दर्ज किया जावे।

अभियुक्त / अभियुक्तगण द0प्र0सं0 के द्वारा 2017 के अधीन प्रावधानों के प्रकाश में अभियोग पत्र पद प्रस्तुत करने पर उद्देश्य को निशुल्क दिना

दृष्टि समायोजित करने के लिए अभियुक्त

को भी

को भी

को भी

चूँकि मामला संक्षिप्त विचारणीय है। अतः संक्षिप्त विचारण प्रारम्भ किया गया। अभियुक्त/अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 34 भा0दं0सं0/2008 के अधिनियम के अधीन अपराध की विशिष्टियां विरचित कर अभियुक्त को पढ़कर सुनाये और समझाये जाने पर अभियुक्त ने अपराध करना स्वेच्छया स्वीकार किया। अतः अभिवाक्य यथा संगत उराके शब्दों में लेखबद्ध किया गया।

अभियुक्त/अभियुक्तगण की स्वेच्छया अपराध की स्वीकारोक्ति को ध्यान में रखते हुए निर्णय प्रथक से रचित करार कर हस्ताक्षरित, दिनांकित, मुद्रांकित कर घोषित किया गया। अभियुक्त को उक्त अपराध के अधीन दोषसिद्ध करते हुए न्यायालय अवसान तक की अवधि के दण्ड एवं 500/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड के संदाय में व्यतिक्रम की दशा में अभियुक्त को 7 दिवस का साधारण कारावास भुगताया जावे।

निर्णय की निःशुल्क प्रति अभियुक्त को प्रदान कर पावती ली जाये।

जप्तसुदा संपत्ति 25/- रुपये राजसात किये जायें। संपत्ति 25/- सूल्हहीन होने से नष्ट कर व्ययनित की जाये। जप्तसुदा वाहन की दशा में वाहन उसके स्वामी को लौटाया जाये। सुपुर्दगी की दशा में सुपुर्दगीनागा निरस्त किया जाता है तथा अपील की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशों का पालन हो।

प्रकरण का परिणाम आपराधिक पंजी में पंजीबद्ध कर विहित अवधि में अभिलेख संचयन हेतु आवश्यक प्रतिपूर्ति उपरांत अभिलेखागार प्रेषित किया जाये।

AK Gupta
Judicial Magistrate First Class,
Gohad Dist. Bhind (M.P.)

पुनश्च:

निर्णयानुसार अभियुक्त/अभियुक्तगण ने अर्थदण्ड की राशि 500/- रुपये अदा की जिसकी पावती बुक क0 6887 रसीद, क0 20 दी गई। अभियुक्त/अभियुक्तगण को सजा भुगताई गई।

प्रकरण उपरोक्त निर्देश अनुसार संचालित हो।

कै. ग. क. ग.
राज्य प्रथम प्रणी
राज्य मजिस्ट्रेट
जिला भिन्द